

अनुलग्नक-1

नलकूप के निम्नलिखित विवरण के लिये आवेदन पत्र



1. प्रार्थी का नाम श्री शिव कुमार 5/0 पंचा
- पता ग्राम-अतरार, पी० हनीबुजार, ब्लॉक सुमेरु
2. बिजली की शक्ति की मात्रा जिसके लिये आवेदन पत्र दिया जा रहा है।
10 HP
3. स्थान जहाँ कनेक्शन अपेक्षित है। ग्राम अतरार
4. प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्रफल जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी।
जमीन के टुकड़ों का पूरा विवरण जिनकी नाप संख्या स्थल आदि का पूरा विवरण
खसरा खतौनी संकलन
5. क्या उस क्षेत्र की सिंचाई किसी साधन पक्के कुएँ आदि से की जाती है? नहीं
6. अब तक उस क्षेत्र की सिंचाई किन साधनों से की जाती थी अब उससे नहीं
7. क्या यह क्षेत्र अंशता या पूर्णता किसी राजकीय नलकूप या नहर द्वारा नहीं
सिंचे जाने वाले क्षेत्रफल (कनाण्ड एरिया) के अन्तर्गत आता है? नहीं
8. क्या नलकूप की बोरिंग (खुदाई) की गयी है और पम्प तथा सीटर लगा केवल बोरिंग खुदाई
दिये गये हैं? 300 मीटर लम्बाई
9. प्रार्थी के क्षेत्र तथा निकटतम राजकीय नलकूप अथवा नहर के बीच की दूरी 1500 मीटर
10. नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो 300 मीटर लम्बाई
11. पाइप का प्रयास चलनी (स्टेनर) की लम्बाई बोरिंग की खुदाई गहराई 170 फीट
सोते की सतह पहले उपरज पानी फूटने की सतह की गहराई और पानी
निकलने का परिणाम प्रति घण्टा भेजना है 32000 galms/hr
12. प्रार्थी की जन्मतिथि 01/03/1980

दिनांक

शिव कुमार

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नाम श्री शिव कुमार 5/0 पंचा

ग्राम अतरार

पी० हनीबुजार ब्लॉक सुमेरु

जिला हनुमानगढ़

अ०शा० पत्रांक 1832/38 क दिनांक 04.03.68 के अन्तर्गत
(यदि 5 हासर्स पावर से अधिक लोड की आवश्यकता हो)

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम श्री शिवदुसर/सुपंचा
एकड़ भूमि है। जिसके लिये नलकूप लगाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा चक संख्या 397 अ
में बोरिंग लगाई गई है।

(महेश चन्द्र)
अवर अभियन्ता लघु सिंचाई
हमीरपुर

खण्ड विकास अधिकारी
सुमेरपुर, हमीरपुर

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी ने अपना नुआ बनवा लिया है और विद्युत की मांग उचित है। यह
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नलकूप 25 मीटर चौड़ी नहर से 200 मीटर दूर है। 25 मीटर चौड़ी
नहर से 100 मीटर है।

(महेश चन्द्र)
अवर अभियन्ता लघु सिंचाई
संख्या 260(1) एफ०टी०/२३ आई०ई०सी० दिनांक 22.02.66 के अन्तर्गत

खण्ड विकास अधिकारी
सुमेरपुर, हमीरपुर

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी को प्रस्तावित नहर से ठीक पानी नहीं मिल पाता तथा विभाग का
प्रार्थी को नलकूप का कनेक्शन देने में कोई आपत्ति नहीं है।

(महेश चन्द्र)
अवर अभियन्ता लघु सिंचाई
हमीरपुर

खण्ड विकास अधिकारी
सुमेरपुर, हमीरपुर